न्यायालय सिविल जज(सी०डि०)/एफ०टी०सी०/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कन्नौज।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 3314/2026
CNR NO.–UPKJ040033152026

मु०अ०सं०–59/2026
धारा–87, 115 (2), 127, 137(2) B.N.S.
थाना तालग्राम व जिला कन्नौज।

दिनांक 18.05.2026

मुकदमा अपराध संख्या 59/2026 अंतर्गत धारा **87, 115 (2), 127, 137(2) B.N.S.** थाना तालग्राम जिला कन्नौज के मामले में प्रार्थी/अभियुक्त सनोज की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त दिनांक 02.05.2026 से जेल में निरूद्ध है।

अभियुक्त का संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पीड़िता को विवाह के उददेश्य से उसके माता पिता का विधिक संरक्षकता से व्यपहृत या अपहृत नहीं किया गया है न ही मारपीट की गयी है। अभियुक्त को महज रंजिशन गांव की पार्टीबंदी के चलते झूठ फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित नहीं किया है वह निर्दोष है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन द्वारा अपना विरोध इस आशय से दर्ज किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गैर जमानतीय है एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण जमानत का घोर विरोध किया गया है।

सुना एवं पत्राली का अवलोकन किया।

अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त पर वादी की नाबालिक पुत्री/पीड़िता को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप लगाया गया है। प्रस्तुत मामला गंभीर प्रकृति का व अजमानतीय एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ऐसी दशा में जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों के आलोक में अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मुकदमा अपराध संख्या 59/2026 अंतर्गत धारा **87, 115 (2), 127, 137(2) B.N.S.** थाना तालग्राम जिला कन्नौज के मामले में प्रार्थी/अभियुक्त सनोज का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 59/2026 अंतर्गत धारा **87, 115 (2), 127, 137(2) B.N.S.** थाना तालग्राम जनपद कन्नौज के मामले में प्रार्थी/अभियुक्त सनोज की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(बिन्नी बालियान)
सिविल जज(सी०डि०)/एफ०टी०सी०/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज।
J.O CODE– UP3214

Digitally signed by BINNY BALYAN
Date: 2026.05.19 15:38:48 IST
Reason: Document Owner
Location: SD/FTC/ACJM Kannauj